राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 765/2020

रमेश चन्द्र दीक्षित **–अपीलार्थी**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थी

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 10.08.2020

आदेश की दिनांक : 12.07.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 03.06.2020 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2017–18 के विरूद्ध वरिष्ठ उप सचिव के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जाए एवं जिस तिथि से उससे कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नति के सभी लाभ दिए गए हैं। उसी तिथि से अपीलार्थी को भी सभी पारिणामिक लाभ एवं शेष राशि पर ब्याज सहित भुगतान किए जाने का आदेश दिए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति एलडीसी के पद पर हुई थी और उसे विभाग द्वारा यूडीसी के पद पर, सहायक अनुभागाधिकारी, अनुभाग अधिकारी, सहायक सचिव एवं तदुपरान्त रिक्ति वर्ष 2015–16 के विरूद्ध उप सचिव के पद पर

पदोन्नत किया गया। उप सचिव संवर्ग की वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2017 को आदेश दिनांक 28.04.2017 के द्वारा प्रकाशित की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 5 पर अंकित किया गया। सचिवालय सेवा में उक्त संवर्ग से वरिष्ठ उप सचिव का अंतिम पदोन्नति होती है। अपीलार्थी भी उक्त पद पर पदोन्नति पाने के लिए पात्र है। उक्त पद पर पदोन्नति हेतु 7 एसीआर में से 4 एसीआर आउट स्टेण्डिंग अथवा वैरी गुड होना आवश्यक है। परंतु अपीलार्थी की 5 एपीएआरएस आउट स्टेण्डिंग तथा वैरी गुड है, जो दिनांक 01.04.2017 से पूर्व की हैं। अपीलार्थी उक्त पदोन्नति पाने हेतु सभी मापदण्ड़ पूर्ण करता है, फिर भी अपीलार्थी को उक्त पद पर पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया गया और उससे कनिष्ठ कार्मिक को आदेश दिनांक 01.08.2017 के द्वारा वरिष्ठ उप सचिव के पद पर पदोन्नत कर दिया गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 13.08.2017, 18.09.2017, 21.11.2017, 24.11.2017 एवं 28.02.2018 को अभ्यावेदन दिए, परंतु कोई निराकरण नहीं किया गया। वर्ष 2017–18 में रिव्यू डीपीसी आयोजित की गई, उसमें भी अपीलार्थी के नाम पर विचार नहीं किया गया और वर्ष 2018–19 की रिक्तियों के विरूद्ध उसके नाम पर विचार किया गया। अपीलार्थी ने उक्त संबंध में अभ्यावेदन दिया, परंतु कोई निस्तारण नहीं किया गया। श्री अशोक कुमार शर्मा द्वारा अधिकरण में अपील संख्या 4404/2018 प्रस्तुत की गई। अधिकरण द्वारा उसकी अपील को स्वीकार कर आदेश दिनांक 09.05.2019 को पारित किया गया, जिसके क्रम में उक्त कार्मिक के नाम पर विचार किया गया। उनका कथन है कि उक्त कार्मिक के नाम पर विचार किया जा सकता है तो अपीलार्थी के नाम पर भी उक्त पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जा सकता है क्योंकि उक्त कार्मिक का प्रकरण भी अपीलार्थी के समान है। परंतु अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई निराकरण नहीं किया गया, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 03.06.2020 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2017–18 के विरूद्ध वरिष्ठ उप सचिव के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जाए एवं जिस तिथि से उससे कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नति के सभी लाभ दिए गए हैं। उसी तिथि से अपीलार्थी को भी सभी पारिणामिक लाभ एवं शेष राशि पर ब्याज सहित भुगतान किए जाने का आदेश दिए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि वरिष्ठ शासन उप सचिव के पद पर पदोन्नति हेतु 7 वर्षों में से 4 वर्षों का वार्षिक कार्य मूल्यांकन उत्कृष्ठ अथवा बहुत

अच्छा होना चाहिए, परंतु अपीलार्थी का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन तीन वर्षों (2012–13, 2013–14 एवं 2014–15) का ही उत्कृष्ठ अथवा बहुत अच्छा होने के कारण अपीलार्थी को पदोन्नति प्रदान नहीं की गई। उक्त पदोन्नति पूर्णतया योग्यता एवं कार्यानुभव को ध्यान में रखकर ही की जाती है और समग्र रूप से सेवाभिलेख उत्कृष्ठ अथवा बहुत अच्छा श्रेणी का रहा हो। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति दिए जाने की अभिशंषा की जाती है। वर्ष 2017–18 की डीपीसी की बैठक दिनांक 14.07.2017, रिव्यू बैठक दिनांक 10.03.2018 एवं रिव्यू बैठक दिनांक 20.03.2020 में समिति द्वारा अपीलार्थी के अभिलेखों का परीक्षण किया गया, जिसमें अपीलार्थी के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	वर्ष	अवधि	श्रेणी
1.	2009–10 पार्ट–I	दिनांक 01.04.2009 से 06.12.2009	अच्छा
	2009–10 पार्ट–II	दिनांक 07.12.2009 से 31.03.2010	अच्छा
2.	2010–11 पार्ट–I	दिनांक 01.04.2010 से 06.09.2010	उत्कृष्ट
	2010–11 पार्ट–II	07.09.2010 से 31.03.2011	अच्छा
3.	2011–12	दिनांक 05.05.2011 से 31.03.2012	अच्छा
4.	2012–13 पार्ट–I	दिनांक 01.04.2012 से 30.07.2012	बहुत अच्छा
	2012–13 पार्ट–II	दिनांक 01.08.2012 से 31.10.2012	बहुत अच्छा
	2012–13 पार्ट–III	दिनांक 22.11.2012 से 27.02.2013	बहुत अच्छा
5.	2013–14 पार्ट–I	दिनांक 22.05.2013 से 06.12.2013	उत्कृष्ट
	2013–14 पार्ट–II	दिनांक 16.01.2014 से 31.03.2014	नो रिपोर्ट प्रमाण–पत्र
6.	2014–15 पार्ट–I	26.06.2014 से 29.10.2014	बहुत अच्छा
	2014–15 पार्ट–II	12.12.2014 से 31.03.2015	उत्कृष्ट
7.	2015–16 पार्ट–I	दिनांक 01.04.2015 से 30.06.2015	अच्छा
	2015–16 पार्ट–II	दिनांक 13.07.2015 से 15.10.2015	बहुत अच्छा
	2015–16 पार्ट–III	दिनांक 16.10.2015 से 31.03.2016	बहुत अच्छा

इस प्रकार अपीलार्थी की 7 वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में से केवल 3 वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उत्कृष्ट अथवा बहुत अच्छा है। परंतु वर्ष 2015–16 का एक पार्ट मात्र अच्छा अंकित है। इस प्रकार कुल 4 वर्षों का समग्र कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उत्कृष्ट अथवा बहुत अच्छा नहीं होने के कारण उनको नियमानुसार समिति द्वारा पदोन्नति हेतु पात्र नहीं पाया गया। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने जबाव का उल जबाव प्रस्तुत कर यह बहस की है कि वर्ष 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 में उत्कृष्ट/बहुत अच्छा दर्शाया गया है। दिनांक 01.04.2015 से 30.06.2016 तक 90 दिवस के लिए अच्छा

और बाकी पूरे वर्ष का बहुत अच्छा दर्शाया गया। इस प्रकार अपीलार्थी उक्त पद पर पदोन्नति पाने का हकदार है। अपीलार्थी ने उक्त मामले के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को कई अभ्यावेदन प्रस्तुत किए, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वरिष्ठ शासन उप सचिव के पद पर पदोन्नति हेतु अपीलार्थी के नाम पर कोई विचार नहीं किया, जो नियमों के विपरीत है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का अवलोकन कर मनन किया गया।

हस्तगत प्रकरण में अभिलेख एवं अभिवचनों से यह स्वीकृत रूप से प्रकट है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति एलडीसी के पद पर हुई थी और उसे विभाग द्वारा यूडीसी के पद पर, सहायक अनुभागाधिकारी, अनुभाग अधिकारी, सहायक सचिव एवं तदुपरान्त रिक्ति वर्ष 2015–16 के विरूद्ध उप सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया। सचिवालय सेवा में उक्त संवर्ग से वरिष्ठ उप सचिव का पद अंतिम पदोन्नति का पद है। उक्त पद पर पदोन्नति हेतु 7 एसीआर में से 4 एसीआर आउट स्टेण्डिंग अथवा वैरी गुड होना आवश्यक है। जहां तक अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक को आदेश दिनांक 01.08.2017 के द्वारा वरिष्ठ उप सचिव के पद पर पदोन्नत करने एवं अपीलार्थी को उक्त पद पर पदोन्नत न किए जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	वर्ष	अवधि	श्रेणी
1.	2009–10 पार्ट–I	दिनांक 01.04.2009 से 06.12.2009	अच्छा
	2009–10 पार्ट–II	दिनांक 07.12.2009 से 31.03.2010	अच्छा
2.	2010–11 पार्ट–I	दिनांक 01.04.2010 से 06.09.2010	उत्कृष्ट
	2010–11 पार्ट–II	07.09.2010 से 31.03.2011	अच्छा
3.	2011–12	दिनांक 05.05.2011 से 31.03.2012	अच्छा
4.	2012–13 पार्ट–I	दिनांक 01.04.2012 से 30.07.2012	बहुत अच्छा
	2012–13 पार्ट–II	दिनांक 01.08.2012 से 31.10.2012	बहुत अच्छा
	2012–13 पार्ट–III	दिनांक 22.11.2012 से 27.02.2013	बहुत अच्छा
5.	2013–14 पार्ट–I	दिनांक 22.05.2013 से 06.12.2013	उत्कृष्ट
	2013–14 पार्ट–II	दिनांक 16.01.2014 से 31.03.2014	नो रिपोर्ट प्रमाण–पत्र
6.	2014–15 पार्ट–I	26.06.2014 से 29.10.2014	बहुत अच्छा
	2014–15 पार्ट–II	12.12.2014 से 31.03.2015	उत्कृष्ट
7.	2015–16 पार्ट–I	दिनांक 01.04.2015 से 30.06.2015	अच्छा
	2015–16 पार्ट–II	दिनांक 13.07.2015 से 15.10.2015	बहुत अच्छा
	2015–16 पार्ट–III	दिनांक 16.10.2015 से 31.03.2016	बहुत अच्छा

इस प्रकार अपीलार्थी की 7 वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में से 2 वर्षों (2012–13 एवं 2014–15) के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन 'उत्कृष्ट' अथवा 'बहुत अच्छा' है। वर्ष 2013–14 में मात्र तीन माह का 'No Report Certificate' जारी किया गया है। और शेष 9 माह का कार्य मूल्यांकन 'उत्कृष्ट' है। इसी प्रकार वर्ष 2015–16 में मात्र तीन माह का कार्य मूल्यांकन 'अच्छा' है और शेष 9 माह का कार्य मूल्यांकन 'बहुत अच्छा' है।

इस प्रकार वर्ष 2013–14 की अधिकांश अवधि का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन 'उत्कृष्ट' श्रेणी का होने तथा शेष अवधि 'No Report Certificate' तथा वर्ष 2015–16 में अधिकांश अवधि का 'बहुत अच्छा' श्रेणी का होने के आधार पर हमारे विनम्र मत में अपीलार्थी का वर्ष 2013–14 एवं 2015–16 का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन 'उत्कृष्ट' श्रेणी का माना जायेगा। इस प्रकार अपीलार्थी के विगत 7 वर्षों में से 4 वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन 'उत्कृष्ट'/'बहुत अच्छा' श्रेणी के हैं और किसी भी वर्ष के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं होने के फलस्वरूप अपीलार्थी वर्ष 2017–18 की वरिष्ठ शासन उप सचिव (शासन सहायक सचिव संवर्ग) की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा विचार किये जाने का पात्र है। हमारे विनम्र मत में विभागीय पदोन्नति समिति को पदोन्नति के सम्बन्ध में कार्मिक (क–2) विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश दिनांक 04.06.2008 के बिन्दु संख्या 2.2 के अनुसार वरिष्ठता सह योग्यता के सम्बन्ध में पदोन्नति हेतु अंकित दिशा–निर्देशों के क्रम में अपीलार्थी को पदोन्नति हेतु योग्य अथवा अयोग्य निर्धारित करना था।

हमारे विनम्र मत में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के वर्ष 2009–10 से 2015–16 (कुल 7 वर्षों) के सेवाभिलेख/वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों का पूर्ण रूप से अवलोकन प्रत्यर्थी विभाग द्वारा रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा न करते हुए आज्ञा दिनांक 03.06.2020 के द्वारा अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नत कर दिया गया। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों में अपीलार्थी के वर्ष 2015–16 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन को सम्पूर्ण वर्ष के लिए उत्कृष्ट नहीं मानकर विभागीय पदोन्नति समिति ने न्यायिक भूल की है। कार्मिक विभाग द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति हेतु जारी दिशा निर्देश दिनांक 04.06.2008 के बिन्दु संख्या 13.11 में एक ही वर्ष के विभिन्न अंशों की असमान ग्रेडिंग की स्थिति में सुविचारित निर्णय लेने की बात कही गई है। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी के लिए वर्ष 2015–16 हेतु वर्ष के एक अंश हेतु एनआरसी जारी होने के बाद, शेष वर्ष

के मूल्यांकन को ही सम्पूर्ण वर्ष का मूल्यांकन माना जायेगा। न्यायिक एवं अर्द्ध न्यायिक विनिश्चयों में विवेकाधिकार का प्रयोग पूर्णतः न्यायिक दृष्टिकोण से ही होना अपेक्षित होता है। Judicial discretion should always be exercised according to the rules of reason and justice and not according to the individual opinion. The exercise of discretion is usually limited by guidelines or principles and is exercised on the basis of facts and circumstances of the particular case. हमारे विनम्र मत में नियमों/दिशा–निर्देशों की पालना किये बिना वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का ध्यानपूर्वक अवलोकन नहीं किए जाने से अपीलार्थी को वरिष्ठ शासन उप सचिव के पद पर पदोन्नति से वंचित होना पड़ा है, जो कि नियम एवं विधि विरुद्ध है। इस. प्रकार विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा राज्य सरकार के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की पालना नहीं की जाकर अपीलार्थी को शासन उप सचिव से वरिष्ठ शासन उप सचिव के पद पर पदोन्नति से वंचित किया जाना परिलक्षित होता है।

उपर्युक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की हस्तगत अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निम्नांकित आदेश प्रदान किये जाते हैं :–

(i) अपीलार्थी की उम्मीदवारी पर वर्ष 2017–18 में वरिष्ठ शासन उप सचिव के पद पर पदोन्नति हेतु उससे कनिष्ठ अधिकारी को दी गई पदोन्नति तिथि से विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में विचार किया जाकर अपीलार्थी के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में हमारे द्वारा ऊपर दिये गये विवेचना के अनुरूप यदि अपीलार्थी पदोन्नति के योग्य पाया जाता है तो उससे कनिष्ठ कार्मिक को दी गई पदोन्नति तिथि से वे समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें, जो उससे कनिष्ठ कार्मिक को प्रदान किये गये हैं।

(ii) यदि उपर्युक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में वर्ष 2017–18 की वरिष्ठ शासन उप सचिव के पद की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति का पात्र पाया जाता है तो अपीलार्थी को समस्त पारिणामिक परिलाभ उस तिथि से प्रदान किये जावें, जिस तिथि से उससे कनिष्ठ कार्मिक को प्रदान किये गए हैं और तदनुरूप अपीलार्थी को पी.पी. ओ., जी.पी.ओ., सी.पी.ओ. के संशोधित लाभ भी प्रदान किए जावे।

(iii) अपीलार्थी के समस्त देय एरियर पर, यदि कोई हो तो, देय होने की दिनांक से वास्तविक भुगतान होने की दिनांक तक 9 प्रतिशत वार्षिक की साधारण दर से ब्याज का भी भुगतान किया जावे।

उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की तिथि से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य